cover 1

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय

(उ0प्र0 शासन विधायी अनुभाग-1 संख्या- 296/79-वि-1-2022-क-1-2022 लखनऊ, 03 जून, 2022)

1–कैसरबाग, लखनऊ–226 001
उ0 प्र0 (भारत)

परिचय पुस्तिका

2022-23

BHATKHANDE SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA

1-KAISARBAGH, LUCKNOW-226 001 U.P.(India)
www.bhatkhandemusic.edu.in

पं० विष्णु नारायण भातखण्डे

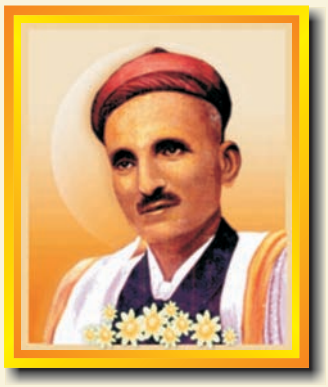

पं० विष्णु नारायण भातखण्डे
(10 अगस्त,1860-19 सितम्बर,1936)

आज देश के संगीत प्रेमियों में स्वर्गीय भातखण्डेजी का नाम भी उसी आदर के साथ लिया जाता है, जिस प्रकार हिन्दी साहित्य के प्रतिष्ठान और सृजन में महात्मा सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी का। आपने संगीत जैसी ललित कला, जो मानव जीवन से निकटतम सम्बन्ध रखने वाली है, की अभिवृद्धि एवं प्रचार के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया।

श्री विष्णुनारायण भातखण्डे का जन्म मुंबई प्रान्त के बालकेश्वर नामक ग्राम के एक उच्च ब्राम्हण घराने में १० अगस्त १८६० ई० को हुआ। माता-पिता की संगीत में रुचि के कारण विष्णु जी बाल्यकाल से ही संगीत के प्रति आकर्षित थे। जिस विद्यालय में विष्णु जी पढ़ते थे, उसमें वह अपने संगीत और गीतों द्वारा सबको आकर्षित करते थे। विद्यालय के विशेष अवसरों पर वे गाना गाकर पुरस्कार भी प्राप्त करते थे।इस प्रकार भातखण्डे जी स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई करते हुए संगीत का भी ज्ञान प्राप्त करते रहे।आपने तीन वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद सितार का भी ज्ञान प्राप्त किया।

सन् १८९० में एल०एल०बी० की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आप कराची चले गये। वहाँ कुछ दिन वकालत करने के बाद आप मुंबई वापस आकर वकालत करने लगे। संगीत का अंकुर तो भातखण्डे जी के हृदय में बाल्यकाल से ही था। इन्हीं दिनों भारतीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकारों को सुनने का भी इन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे ये बहुत प्रभावित हुए और इनकी सोई हुई संगीत जिज्ञासा जाग उठी। आपकी इच्छा हुई कि संगीत कला व शास्त्र की छान-बीन करने की चेष्टा करनी चाहिये, अतः आपने मुंबई के 'गायन उत्तेजक मण्डल' में कुछ दिन संगीत शिक्षा प्राप्त की एवं संगीत सम्बन्धी बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया।

सन् १९०४ में आपकी ऐतिहासिक संगीत यात्रा आरम्भ हुई। सबसे पहले आपने दक्षिण की ओर भ्रमण किया और वहाँ के बड़े-बड़े नगरों में स्थित पुस्तकालयों में पहुँचकर संगीत सम्बन्धित प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन किया एवं संगीत के विद्वानों के साथ संगीत चर्चा में भी भाग लिया। उन लोगों से बहुत प्रश्न भी किये। यहीं पर आपको पं० व्यंकटमखी के ७२ मेल (थाट) का भी पहली बार पता चला। प्रवास के दौरान भातखण्डे जी हर समय अपने पास संगीत प्रश्नों की एक डायरी भी रखते थे और अवसर मिलते ही संगीतज्ञों से तर्क करते थे। सन् १९०६ ई० में पंडित जी ने उत्तरी तथा पूर्वी भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्हें उत्तरी संगीत पद्धति की जानकारी हुई।विविध कलावन्तों से आप ने गण्डा बंधाकर संगीत की जानकारी येन-केन-प्रकारेण हासिल की और संगीत-विद्वानों से भेंट करके अनेक प्राचीन एवं अप्रचलित रागों तथा तथ्यों के सम्बन्ध में खोज-बीन की। सन् १९०७ में आपने विजयनगरम्, हैदराबाद, जगन्नाथपुरी, नागपुर और कलकत्ता की यात्रा की। १९०८ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों का दौरा किया। उन दिनों उत्तर भारत में राग-रागिनी पद्धति प्रचलित थी और वहाँ के संगीतज्ञ उनके नियमों पर ध्यान न देते हुए गाते थे। यह देखकर पंडित जी ने विचार किया कि दक्षिण पद्धति के राग-थाट का प्रचार उत्तर में भी किया जाये तो उत्तर का संगीत क्रमबद्ध होकर ठीक हो जायेगा।अतः आपने थाट पद्धति आरम्भ करने के प्रयत्न शुरु कर दिये।फलस्वरुप उत्तर भारत के संगीतज्ञ 'राग-रागिनी' को छोड़कर थाट राग-प्रणाली को ठीक समझकर उसकी ओर आकर्षित हुए और कुछ समय बाद उत्तर में थाट पद्धति चालू हो गई। संगीत का ज्ञान प्राप्त करने और उसके प्रचार के लिये पंडित जी ने कई संगीत सम्मेलन कराये। इस कार्य में आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ा और सफलता भी मिली। सन् १९१६ में बड़ौदा में पंडित जी ने एक विशाल संगीत सम्मेलन कराया, जिसका उद्घाटन बड़ौदा के महाराजा ने किया। इस संगीत सम्मेलन में बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा आपस में विचार विमर्श के बाद एक ऑल इन्डिया म्यूजिक अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद दूसरा सम्मेलन दिल्ली, तीसरा बनारस और चौथा सम्मेलन लखनऊ में किया एवं अन्य कई स्थानों में भी संगीत सम्मेलन हुए इसके अतिरिक्त संगीत की उन्नति और प्रचार के लिये आपने कई जगह म्यूजिक कालेज की स्थापना की जिसमें लखनऊ का मैरिस म्यूजिक कालेज (अब भातखण्डे संगीत संस्थान, अभिमत विश्वविद्यालय),ग्वालियर का माधव संगीत विद्यालय तथा बड़ौदा का म्यूजिक कालेज विशेष उल्लेखनीय है। इन कालेजों में आपकी स्वरलिपि पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। आपने संगीत शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी एवं प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद भी किया। मराठी में लिखित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के चार भागों के लेखक आप ही हैं। इन ग्रन्थों में अपनी संगीत यात्रा के विशेष अनुभव भी लिखें हैं। भातखण्डे जी के कार्यों को हम चार भागों में बांट सकते हैं । आप के कार्य का प्रथम अंग मुसलिम काल में विशेष उन्नति पर पहुंचे हुये संगीत का नवीन शास्त्र बनाना था। आप ने राग-रागिनी पद्धति को शास्त्रों का आधार देकर उच्च स्तर पर पहुंचाया। दूसरा कार्य आपने विविध खानदानी गवैयों की बंदिशें सुनकर उनकी स्वरलिपियां तैयार की और उन्हें एकत्रित करके क्रमिक पुस्तिका मालिका के रूप में प्रकाशित किया। आपका तीसरा और महान कार्य ये है कि आपने एक सरल स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया। आज भारतवर्ष में नोटेशन करने की इतनी सरल पद्धति दूसरी कोई नहीं है। आपका चौथा कार्य संगीत कला की क्षत-विक्षत पद्धतियों के स्थान पर प्रभावी सरल थाट पद्धति को अपना कर उसका प्रचार था। इससे संगीतज्ञों में एक नियमबद्ध प्रणाली से गाने बजाने की योग्यता पैदा हुई।

पण्डित जी एक लम्बे कद के व्यक्ति थे। आपका शरीर सुन्दर और स्वच्छ था। ललाट विद्वानों की भांति चौड़ा और तेजयुक्त था। आप बड़े परिश्रमी व्यक्ति थे। आपने संगीत-जगत के लिये जो काम किया है, उसके लिये संगीत इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। सन् १९३१ ई० से, जबकि इन पर रोगों का आक्रमण हुआ, तब से इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इस महान मनीषी का 19 सितम्बर 1936 ई. में, गणेश चतुर्थी के दिन देहावसान हुआ।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

राज भवन
लखनऊ - 226 027

09 जून, 2022

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा परिचय पुस्तिका सत्र 2022–23 का प्रकाशन किया जा रहा है।

संगीत स्वयं में कला का एक उत्कृष्ट स्वरूप ही नहीं है बल्कि ये दैवीय अनुभूति का माध्यम भी है, अद्भुत शक्ति समागम का स्रोत भी है। मुझे विश्वास है कि परिचय पुस्तिका में प्रकाशित पाठ्य सामग्री से विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को संस्थान में विविधतापूर्ण संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

परिचय पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

आनंदीबेन

(आनंदीबेन पटेल)

दूरभाष : 0522-2236497 फैक्स : 0522-2239488 ईमेल : hgovup@gov.in वेबसाइट : www.upgovernor.gov.in

मुकेश कुमार मेश्राम,
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ

दिनांक 01-07-2022

शुभकामना संदेश

उत्तर प्रदेश में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश की गौरवशाली मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु रोजगारपरक शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं शोध कार्यों को बल मिलेगा।

भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान कला और संगीत की अमूल्य विरासत समाई है, जिसमें शिक्षा की महती भूमिका है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस संस्थान के छात्र–छात्रायें मानवता के विकास एवं समृद्धि के लिए ऐसी योग्यता, क्षमता एवं प्रतिष्ठा अर्जित करेंगें जो दूसरो के लिए अनुकरणीय होगा।

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता का बोध हो रहा है कि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के शिक्षण में सत्र–2022–23 की परिचय–पुस्तिका का प्रकाशन कराया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि परिचय पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री से विद्यार्थियों को संगीत की महत्ता के साथ ही पाठ्यक्रम आदि के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

परिचय–पुस्तिका सत्र–2022–23 के प्रकाशन हेतु मै अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(मुकेश कुमार मेश्राम)

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय
1, कैसरबाग लखनऊ – 226001
(संख्या 10/79–वि–1–22–2–क–1–2022 लखनऊ, 6 जनवरी, 2022)

Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya
1, Kaiserbagh Lucknow-226001
(U.P. ORDINANCE NO. 10/LXXIX-V-1-22-2-ka-1-2022, Lucknow, Dated January 6, 2022)

डॉ. रोशन जैकब

आई.ए.एस.
मण्डलायुक्त, लखनऊ/कुलपति

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के शिक्षण सत्र 2022–23 में शास्त्रीय संगीत यथा– गायन, वादन, नृत्य विधाओं के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं।

गतवर्ष कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने जीवन का बचाव करते हुए प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित विज्ञान की आधुनिक तकनीक द्वारा विषम परिस्थितियों में सुदूर क्षेत्रों में स्थित विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो, के दृष्टिगत उन्हें घर बैठे संगीत जैसी प्रयोगात्मक विषयों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के उपरान्त ऑनलाइन परीक्षाएं भी सम्पन्न की गई, जिससे डिजिटल इण्डिया युग में नवीनतम तकनीकी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने और परम्परागत प्रदर्शनपरक कलाओं को भी विज्ञान से जुड़ने का मार्गदर्शन प्रशस्त हुआ। वर्तमान में पुनर्गठित भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ में संचालित संगीत विधाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश सम्बन्धी जानकारी के लिए परिचय पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

हमें विश्वास है कि शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं में रोजगारपरक शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सवंर्धन हेतु कला एवं संस्कृति के अध्यापन, अनुसंधान में विश्वविद्यालय के सभी शैक्षिक/गैरशैक्षिक स्टॉफ मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत–बहुत शुभकामानएं।

Roshan

(डॉ0 रोशन जैकब)

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ

(पूर्ववर्ती नाम ''भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ'')

(उ0 प्र0 शासन विधायी अनुभाग-1 संख्या- 296/79-वि-1-2022-क-1-2022 लखनऊ, 03 जून, 2022)

1–कैसरबाग, लखनऊ

देश का मूर्धन्य संस्कृति विश्वविद्यालय

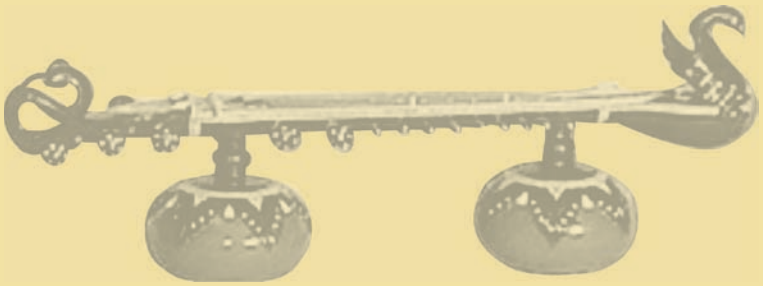

1–कैसरबाग, लखनऊ–226 001 उ0प्र0 (भारत)

Website : www.bhatkhandemusic.edu.in

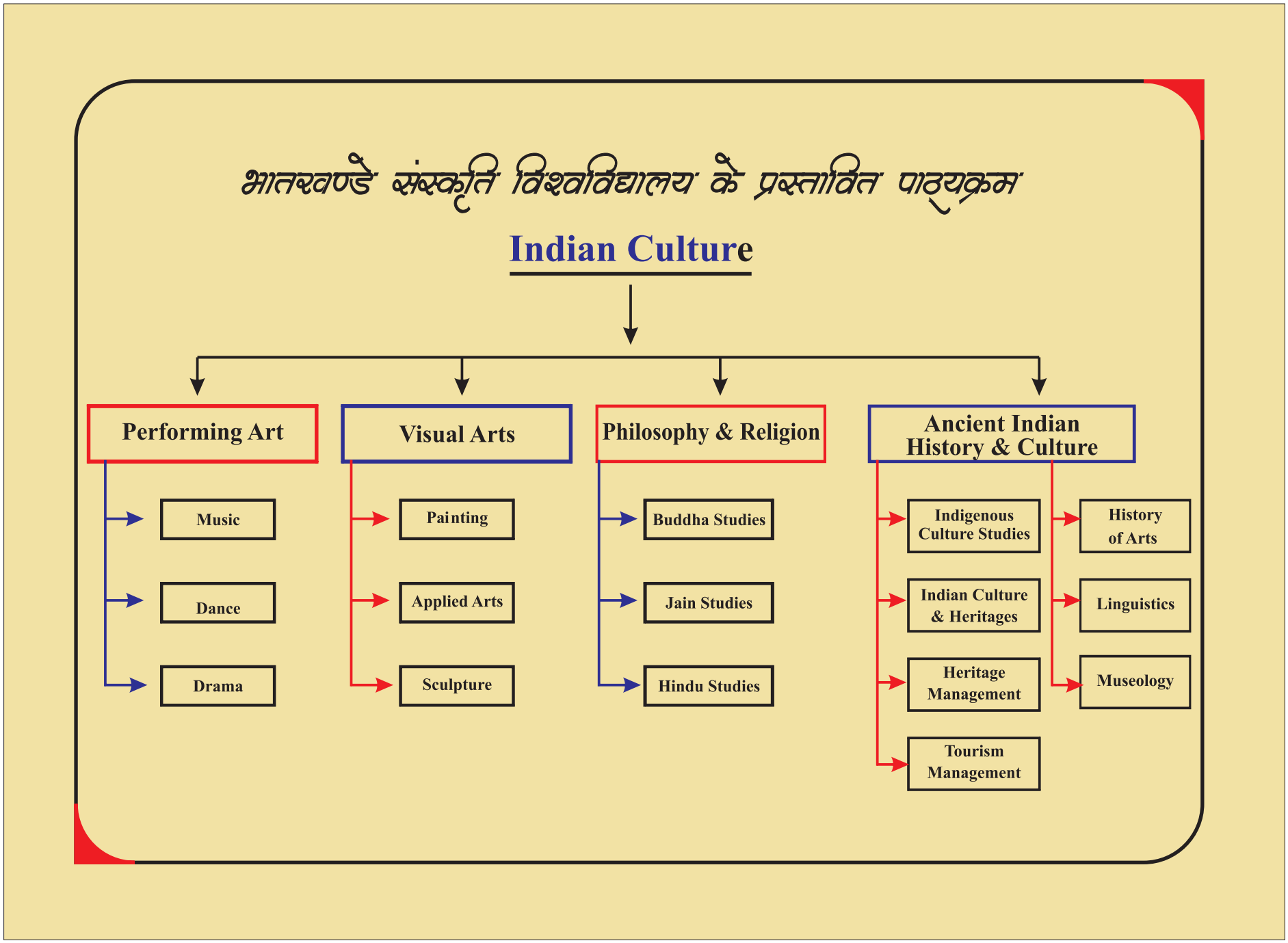

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रस्तावित पाठ्यक्रम

Indian Culture

परिचय

भारत में संगीत की विद्यालयीन शिक्षण परंपरा का प्रारम्भ बींसवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ। इस शताब्दी के दो महान संगीतोद्धारक महर्षि पं० विष्णु दिगंबर पलुस्कर तथा पं० विष्णु नारायण भातखण्डे के नेतृत्व में विद्यालयीन संगीत शिक्षण की दो स्वतंत्र एवं सशक्त परम्परायें विकसित हुईं। सन् 1926 में लखनऊ में उस समय के संगीत रसिक राय उमानाथ बली, राय राजेश्वर बली एवं अन्य मान्यवरों की सहायता से पं० विष्णु नारायण भातखण्डे जी ने एक संगीत संस्था की नींव डाली जिसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मेरिस के हाथों किया गया तथा संस्थान का नाम मेरिस म्युजिक कॉलेज रखा गया । 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार ने इस संस्था को अपने नियंत्रण में लेकर इसका नाम भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा।

24 अक्टूबर, 2000 को राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में इस संस्थान को समविश्वविद्यालय घोषित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुसार इसे समविश्वविद्यालय रुप में स्वीकृत किया गया है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किये जाने से संगीत के विद्यार्थियों को प्रदेश में ही मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा उच्चस्तरीय शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध हो गया। भातखण्डे संगीत संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संस्थान में सत्र 2001-02 से शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं (यथा गायन, वादन एवं नृत्य) में बी० पी० ए०, एम० पी० ए० व पी०एच०डी० स्तर तक की शिक्षा प्रारम्भ की गई। मा० राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2022 को भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश 2022 (उ०प्र० अध्यादेश संख्या 1 सन 2022) गजट अधिसूचना अध्यादेश संख्या-10/70-वि-1-22-2-क-1-2022 के माध्यम से संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तत्क्रम में विधानमण्डल से पारित भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम- 2022 (उ०प्र० अधिनियम सं० 2 सन् 2022), विधायी अनुभाग-1 संख्या-296/79-वि-1-2022-1-क-1-2022, दिनांक 03 जून 2022 द्वारा गजट अधिसूचना जारी की गयी।

संगीत जैसी प्रदर्शनात्मक कला को सीखने के लिए कम आयु से प्रारम्भ करना उपयुक्त होता है। इसे ध्यान में रखकर महाविद्यालय में पहले से संचालित पाठ्यक्रमों को कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षाओं को भी संस्थान में यथावत चलाने का निर्णय लिया गया। इस पहल से जो विद्यार्थी बी०पी०ए० व एम०पी०ए० के लिए शिक्षा तथा आयु की निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण न करते हों उन्हें भी संगीत की शिक्षा के सरल सुअवसर प्राप्त होते हैं।

भारतीय संगीत को और अधिक लोकप्रिय व उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सत्र 2004-05 से इसके पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है। बी०पी०ए० व एम०पी०ए० का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देर्शो के अनुरूप लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। छात्रों की रूचि व क्षमता को ध्यान में रखकर एम०पी०ए० के पाठ्यक्रम में उन्हें व्यवसायिक कलाकार, संगीत शास्त्री एवं संगीत शिक्षक तथा संगीत रचनाकार एवं निर्देशक के रूप में अपनी कला के परिमार्जन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। साथ ही विज्ञान के नये आयामों के साथ संगीत शिक्षा को जोड़कर जीवन यापन के नये अवसर भी उपलब्ध करने में संस्थान प्रयासरत है।

विविध संकाय/विभाग एवं विषय

संकाय	विषय
1. गायन संकाय/विभाग	शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत,
2. स्वरवाद्य संकाय/विभाग	सितार, सरोद, गिटार, वायलिन, सारंगी, बांसुरी संवादिनी(हारमोनियम), की बोर्ड (सिंथेसाइजर)
3. तालवाद्य संकाय/विभाग	तबला, पखावज, ढोलक,
4. नृत्य संकाय/विभाग	कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, लोकनृत्य
5. संगीतशास्त्र एवं शोध संकाय/विभाग	गायन, वादन एवं नृत्य
6. व्यवहारिक संगीत	संगीत संरचना एवं निर्देशन, ध्वन्यांकन एवं तकनीक, वृंदगान, वृंदवादन एवं वृंदनृत्य संयोजन, संगीत आस्वादन एवं पत्रकारिता, संगीत वाद्य यंत्रों का रख रखाव, संगीत समारोह का प्रबन्धन तथा कार्यक्रम प्रबन्धन, संगीतोपचार, विश्व संगीत
7. हिन्दुस्तानी संगीत अध्ययन केन्द्र	विदेशी छात्र, अंतर्विश्वविद्यालयीन एवं अन्य संस्थानों से आदान-प्रदान कार्यक्रम।
8. भातखण्डे संगीत मण्डल	छात्रों को नियमित मंच प्रदान करने के लिए मासिक संगीत सभा।

सामान्य नियम

1. विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित / उपस्थिति मुक्त (Exempted) छात्र एक ही परीक्षा में, उपलब्ध विषयों में से केवल एक ही विषय चुनकर परीक्षा दे सकता है। एक साथ दो डिग्री/ दो डिप्लोमा करने की अनुमति नहीं है।
   (अ) एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा किया जा सकता है।
   (ब) एक डिग्री या एक डिप्लोमा के साथ कोई एक विशिष्ट पाठ्यक्रम किया जा सकता है।
2. **विद्यार्थियों की कुल शिक्षण दिवसों में से 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन के लिए निश्चित कक्षाओं में समय सारणी के अनुसार उपस्थित रहने पर ही उस दिन की उपस्थिति प्रदान की जायेगी।**
3. **लगातार 10 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहने पर पंजिका से नाम काट दिया जायेगा।**
4. नियमानुसार अस्वस्थता के कारण अथवा किसी विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी को अवकाश दिया जा सकेगा। अस्वस्थता के कारण अवकाश चाहने वाले विद्यार्थी को नियमानुसार किसी मान्य चिकित्सक (एम.बी.बी.एस) का प्रमाण पत्र समय से प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अवकाशों की संख्या कुल शैक्षिक दिवसों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपस्थित रहना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के नियमों का तथा अनुशासन सम्बन्धी नियमों का पालन करना होगा।
7. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित शैक्षणिक-प्रस्तुतियों एवं कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को भाग लेना अनिवार्य है।
8. यदि कोई विद्यार्थी परिचय अथवा प्रबुद्ध अथवा पारंगत में उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करके दो साल के अन्तराल के बाद द्वितीय वर्ष की कक्षा में प्रवेश लेना चाहेगा, तो उसे पुनः उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
9. महिला छात्र विश्वविद्यालय में सलवार कमीज, दुपट्टा/साड़ी पहन कर आयेंगी तथा जींस, लैगिंग्ज और टी-शर्ट पहनना मना है।
10. विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने विश्वविद्यालय का अनुशासन भंग किया, प्रवेश/परीक्षा आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पायी गई, विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाये अथवा स्वयं हस्ताक्षर किये तो यह कार्य दण्डनीय समझा जायेगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।
11. ऐसी परिस्थितियाँ जो उपरोक्त नियमों की परिसीमा में नहीं आती, उनमें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2019-20 के लिए घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।
12. इस विश्वविद्यालय से निर्गत किये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र, शुल्क जमा करने के पश्चात 7 कार्य दिवस पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रदान किये जायेंगे।
13. प्रवेश तथा परीक्षा सम्बन्धी सभी प्रकरणों में कुलपति का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. शिक्षण व्यवस्था

1. विश्वविद्यालय की कक्षाओं का शिक्षण कार्य माध्यान्ह 12 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होता है।
2. विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य तीन वर्गों में विभाजित है। प्रथम वर्ग में विश्वविद्यालय, द्वितीय वर्ग में महाविद्यालय तथा तृतीय वर्ग में विद्यालय स्तर की शिक्षण व्यवस्था है। विश्वविद्यालय स्तर की पूर्णकालिक कक्षायें मध्यान्ह 12 बजे से तथा महाविद्यालय व विद्यालय स्तर की कक्षाएं 2 बजे से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार होती है।

2. पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध है :

क. विद्यालय विभाग के डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1. **प्रवेशिका** (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)
   अर्हता : कक्षा - 5 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं 10 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा सम्बन्धित विषय का प्रारम्भिक ज्ञान।
2. **परिचय** (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)
   अर्हता : सम्बन्धित विषय में विश्वविद्यालय की प्रवेशिका या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।
   अथवा
   उ० प्र० शिक्षा परिषद से सम्बन्धित विषय के साथ हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

ख. महाविद्यालय विभाग के डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1. **प्रबुद्ध** (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)
   अर्हता : सम्बन्धित विषय में विश्वविद्यालय की परिचय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा
   उ० प्र० शिक्षा परिषद से सम्बन्धित विषय के साथ इन्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. **पारंगत** (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)
   अर्हता : सम्बन्धित विषय में विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष कोई अन्य परीक्षा अथवा सम्बधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

ग. द्विवर्षीय विशिष्ट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

1. **ध्रुपद, धमार गायन**
   अर्हता : सम्बन्धित विषय में विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध या उस के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा एवं उ० प्र० शिक्षा परिषद की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. **उपशास्त्रीय गायन (ठुमरी, दादरा, होरी, इत्यादि)**
   अर्हता : सम्बन्धित विषय में विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध या उस के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा एवं उ० प्र० शिक्षा परिषद की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
3. **सुगम संगीत**
   अर्हता : कक्षा - 5 परीक्षा उत्तीर्ण एवं सम्बन्धित विषय का प्रारम्भिक ज्ञान तथा 10 वर्ष की आयु पूर्ण हो।

4. **हारमोनियम/ की बोर्ड (सिंथेसाइजर)**
   अर्हता : कक्षा - 5 परीक्षा उत्तीर्ण एवं सम्बन्धित विषय का प्रारम्भिक ज्ञान तथा 10 वर्ष की आयु पूर्ण हो।
5. **लोकनृत्य**
   अर्हता : कक्षा - 5 परीक्षा उत्तीर्ण एवं सम्बन्धित विषय का प्रारम्भिक ज्ञान तथा 10 वर्ष की आयु पूर्ण हो।

एक वर्षीय विशिष्ट सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

6. **लोकसंगीत तथा ढोलक**
   अर्हता : कक्षा - 5 परीक्षा उत्तीर्ण एवं सम्बन्धित विषय का प्रारम्भिक ज्ञान तथा 10 वर्ष की आयु पूर्ण हो।

च. विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम

1. बी0 पी0 ए0 (चार वर्षीय-8 सेमेस्टर)

अर्हता : उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की सम्बन्धित विषय के साथ इन्टरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की इन्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा और विश्वविद्यालय की परिचय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2. एम0 पी0 ए0 (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम-4 सेमेस्टर)

अर्हता : विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0 म्यूज0/बी0पी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण या संगीत विषय के साथ स्नातक की उपाधि।
अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय मे स्नातक की उपाधि के साथ सम्बन्धित विषय में विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. प्रवेश

1. प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है।
2. विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अपनी पूर्व शैक्षिक संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. प्रवेश परीक्षा की समय सारिणी आवेदन पत्र प्राप्त होने के अन्तिम तिथि के एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय के सूचनापट पर लगा दी जाती है।
4. विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों की एक प्रवेश परीक्षा समिति गठित की जाती है।
5. उपरोक्त समिति द्वारा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन एवं साक्षात्कार के आधार पर परीक्षा ली जाती है।
6. प्रत्येक विषय व कक्षावार योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश में वरीयता दी जाती है।
7. कुछ विशेष पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटें होने के कारण प्रवेश परीक्षा समिति के अनुमोदन एवं योग्यता सूची के आधार पर उतने ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जितने वह उचित समझती है।
8. विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
9. **प्रवेश के लिए चुने गये विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय के सूचनापट पर लगायी जाती है एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर ही विद्यार्थियों के उपस्थित होने पर कक्षा आवंटित की जाती है। इसके उपरान्त उपस्थित होने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।**

10. राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व विकलांग अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु स्थान आरक्षित है, किन्तु आरक्षित वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थी न होने पर रिक्त स्थान पर सामान्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
11. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित प्रकरणों पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होता है।

छ. **पी० एच० डी०** यू. जी. सी. की अद्यतन नियमावली के अनुसार आवेदन पत्र के साथ नियमावली उपलब्ध।

ज. संगीत अभिरुचि पाठ्यक्रम (Casual Admission)

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के डिप्लोमा/विशिष्ट पाठ्यक्रमों में एक विशेष संगीत अभिरुचि पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है।
2. प्रवेश परीक्षा के उपरांत ही विद्यार्थियों की कक्षा निर्धारित की जायेगी।
3. विद्यार्थियों को निर्धारित कक्षा के पूरे सत्र का शुल्क देय होगा।
4. अर्हता : न्यूनतम आयु 10 वर्ष एवं कक्षा 5 उत्तीर्ण।

नोट : उपरोक्त पाठ्यक्रम में परीक्षा की बाध्यता नहीं है, किन्तु मानक उपस्थिति 55% के आधार पर ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

4. नामांकन (विश्वविद्यालय विभाग)

1. प्रवेश के लिए चुने गए विद्यार्थियों द्वारा अधिसूचित तिथि तक नामांकन-आवेदनपत्र आवश्यक शुल्क व प्रमाण पत्र सहित विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
2. नामांकन शुल्क केवल एक बार जमा किया जाता है जो विश्वविद्यालय में विद्यार्थी बने रहने तक मान्य रहता है।
3. विश्वविद्यालय में किसी एक समय में विद्यार्थी को एक से अधिक विषयों में नामांकित नहीं किया जा सकता है।
4. किसी विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उसका नाम नामांकन पंजी में अंकित न कर लिया गया हो।
5. कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में तब तक सम्मलित नहीं किया जायेगा जब तक नियमित विद्यार्थी के रूप में उसका नामांकन न कर लिया गया हो।
6. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तिथि से उसका नामांकन तब तक के लिए निरस्त समझा जायेगा जब तक नियमानुसार नियमित विद्यार्थी के रूप में उसका पुनः नामांकन न कर लिया जाय।
7. नामांकन के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी को एक नामांकन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा जिसमें उसकी नामांकन संख्या विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार व परीक्षा आवेदन पत्र में आवश्यकतानुसार अंकित की जायेगी।
8. कोई भी नामांकित विद्यार्थी आवश्यक शुल्क जमा कर निर्धारित प्रपत्र पर किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

5. उपस्थिति

1. विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने के उपरान्त कक्षा के आवंटन की तिथि से प्रारम्भ होती है।
2. सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में **कम से कम 75 प्रतिशत** उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति रखने वाले विद्यार्थी वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

6. निष्कासन एवं बहिष्कार

1. जब कोई विद्यार्थी किसी दुर्व्यवहार अथवा निरंतर उदासीनता का दोषी हो तो कुलपति द्वारा दोष की प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए उस विद्यार्थी का निष्कासन, बहिष्कार, अथवा विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
2. विश्वविद्यालय से विद्यार्थी का निष्कासन होने पर उसका नाम नामांकन पंजिका से काट दिया जाता है।
3. ऐसा विद्यार्थी जिसे विश्वविद्यालय से निष्कासन का दण्ड दिया गया हो तथा बहिष्कार किया गया हो, को बहिष्कृत अवधि में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
4. ऐसा विद्यार्थी जिसे अन्य विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से निष्कासित या बहिष्कृत किये जाने का दण्ड दिया गया हो, को विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि कुलपति इस बात से संन्तुष्ट हों कि निष्कासन या बहिष्कार विद्यार्थी के चारित्रिक दोष से सम्बन्धित नहीं है तो अपवादात्मक मामलों में इस प्राविधान के कार्यान्वयन में छूट प्रदान की जा सकती है।
5. किसी विद्यार्थी के विश्वविद्यालय विरोधी गतिविधियों यथा हड़ताल, धरना-प्रदर्शन में लिप्त पाये जाने पर उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

7. विद्यार्थी परिवेदना समिति

छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु उपरोक्त समिति कार्य करेगी।

छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ी जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु **विशेष निर्देश।**

बी0पी0ए0 व एम0पी0ए0 के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग/ सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश कराने के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय के कार्यालय से छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र के निर्धारित प्रारूप (दो प्रतियों) में अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें और उनको पूर्णतया भरकर प्रवेश प्राप्त करने की तिथि के दस दिन के अन्दर निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ अनिवार्य रुप से जमा कर दें अन्यथा छात्रवृत्ति न मिलने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित विद्यार्थियों का होगा।

संलग्नक :

1. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि।
2. सक्षम अधिकारी जनजाति प्रतिनिधि द्वारा नवीन आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रतिलिपि।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के राशन कार्ड की छाया प्रतिलिपि।
4. शैक्षिक एवं सांगीतिक परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि।
5. प्रवेश शुल्क जमा रसीद की छाया प्रतिलिपि।
6. किसी अन्य शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है इस आशय का शपथ पत्र।
7. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ी जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, क्लार्क अवध शाखा में अपना खाता खोलकर छात्रवृत्ति पत्र पर अपना खाता संख्या अंकित करके पासबुक के कवर पेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ी जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, राजस्व विभाग के स्तर के किसी अधिकारी जो तहसीलदार के

स्तर से कम का न हो द्वारा निर्गत आवेदन पत्र के साथ मूलरूप से संलग्न होना चाहिये।

नोट : छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग के नियम मान्य होंगे।

कॉशनमनी

1. विश्वविद्यालय छोड़ने के 6 माह पश्चात् तथा उक्त अवधि के 1 वर्ष बाद कॉशनमनी का दावा न करने पर कॉशनमनी वापस नहीं की जा सकेगी एवं दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. कॉशनमनी भुगतान से सम्बन्धित प्रवेश के समय कॉशनमनी जमा रसीद की मूलप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. कॉशनमनी वापसी से सम्बन्धित पुस्तकालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा।
5. कॉशनमनी का भुगतान अप्रैल व मई के माह में होगा।

स्थानान्तरण (माइग्रेशन)

1. प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात् ही माइग्रेशन प्रमाण पत्र देय होगा।
3. माइग्रेशन लेने के लिए आवेदन पत्र देना होगा जिसके साथ अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका तथा उत्तीर्ण परीक्षा के साथ माइग्रेशन प्रपत्र का शुल्क रु० 300/- जमा करना अनिवार्य है।
4. उक्त प्रपत्र जमा करने के दस दिन (कार्यालयीन दिवस) पश्चात् माइग्रेशन दिया जायेगा।

8. छात्रावास

1. महिला छात्रावास/पुरुष छात्रावास

1. शिक्षण सत्र की वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 16 मई को छात्रावास खाली करना होगा।
2. छात्र/छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय परिसर में ही छात्रावास है। छात्र/छात्राओं को प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्रारम्भ में ही छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है। छात्रावास की सामान्य व्यवस्था व संचालन हेतु वार्डेन व आवश्यक कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध है।
3. महिला छात्रावास में लगभग 60 स्थान हैं तथा पुरुष छात्रावास में लगभग 24 स्थान हैं। दोनों छात्रावास की सामान्य व्यवस्था व संचालन हेतु महिला/पुरुष वार्डेन तथा आवश्यक कर्मचारी सेवाएं उपलब्ध है। उपलब्धता के आधार पर ही नये सत्र में रिक्त स्थानों का आवंटन किया जायेगा। छात्रावास के किराये की दरें निम्नानुसार हैं -
   अ) महिला छात्रावास- रु. 2, 500/- प्रतिमाह
   ब) पुरुष छात्रावास- रु. 3,000/- प्रतिमाह
4. उपरोक्त किराया एकमुश्त ही जमा करना होगा।
5. अठारह वर्ष से कम आयु के छात्र / छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. मान्यता प्राप्त चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।

★ इस आवास के नियंत्रण एवं समस्या निवारण हेतु समिति गठित है।

★ छात्रावास का सत्र का शुल्क 11 महीने का देय होगा।

विश्वविद्यालय एवं छात्रावास परिसर में नशीले पदार्थ का प्रयोग दंडनीय अपराध है। सम्बन्धित छात्र/छात्रा को निष्कासित करनेका अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।

(शुल्क निर्धारण प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्धारित)

शुल्क विवरण

क्र. सं.	शुल्क विवरण	प्रवेशिका भाग–1,2	परिचय भाग–1,2	प्रबुद्ध भाग–1,2	पारंगत भाग–1,2	विशिष्ठ पाठ्यक्रम द्विवर्षीय–1,2	बी0पी0ए0 भाग– 2,3	विशिष्ठ पाठ्यक्रम एक वर्षीय
1	प्रवेश शुल्क	400/–	400/–	400/–	500/–	500/–	500/–	400/–
2	शिक्षण शुल्क	2,200/–	2,800/–	3,600/–	5,000/–	5,400/–	6,400/–	2,200/–
3	काशनमनी	500/–	500/–	600/–	600/–	600/–	700/–	500/–
4	पुस्तकालय शुल्क	500/–	500/–	600/–	600/–	600/–	700/–	500/–
5	परिचय पत्र शुल्क	100/–	100/–	100/–	100/–	100/–	100/–	100/–
6	विद्युत शुल्क	400/–	400/–	500/–	500/–	500/–	500/–	400/–
7	विकास शुल्क	500/–	500/–	500/–	500/–	500/–	500/–	500/–
8	वाद्य अनुरक्षण शुल्क	400/–	400/–	400/–	400/–	400/–	400/–	400/–
9	सांगीतिक गतिविधियां	500/–	500/–	500/–	500/–	500/–	500/–	500/–
	कुल शुल्क	**5,500/–**	**6,100/–**	**7,200/–**	**8,700/–**	**9,100/–**	**10,700/–**	**5,500–**
	परीक्षा शुल्क	600–700/–	800–900/–	1000–1100/–	1300–1400/–	1000/–	1200/–	600/–

अन्य शुल्क

डुप्लीकेट परिचय पत्र	200/–
डुप्लीकेट अंक तालिका	300/–
अस्थाई प्रमाण पत्र	300/–
प्राप्तांक निरीक्षण (प्रति प्रश्नपत्र)	400/–
प्रवेशिका प्रमाण पत्र	200/–
परिचय प्रमाण पत्र	300/–
प्रबुद्ध प्रमाण पत्र	300/–
पारंगत प्रमाण पत्र	400/–
बी0पी0ए0 प्रमाण पत्र	300/–
एम0पी0ए0 प्रमाण पत्र	400/–
बोनाफाइड प्रमाण पत्र	300/–

सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित शुल्क विवरण

		बीपीए प्रति सेमेस्टर	एमपीए प्रति सेमेस्टर
1	प्रवेश शुल्क	400/–	400/–
2	शिक्षण शुल्क	3000 /-	3600 /-
3	काशनमनी	400/–	400 /-
4	पुस्तकालय शुल्क	400/–	400 /-
5	परिचय पत्र शुल्क	100/–	100 /-
6	विद्युत शुल्क	300/–	300 /-
7	विकास शुल्क	300/–	300 /-
8	वाद्य अनुरक्षण शुल्क	300/–	300 /-
9	सांगीतिक गतिविधियां	400/–	400 /-
10	नामांकन शुल्क	400/-	500 /- (नामांकन शुल्क विश्वविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश पर देय होगा)
	कुल शुल्क	6,000/-	6,700/-
	परीक्षा शुल्क	800/–(प्रति सेमेस्टर)	1200 /- **(प्रति सेमेस्टर)**

सामान्य नियम

विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाने के पश्चात विद्यार्थियों का ये दायित्व है कि वह संस्थान के नियमों का पालन करें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहे। बाहर से शिक्षा ग्रहण करने आये विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश में गृहनगर जाने वालों के लिए नियमानुसारी उनके अनुरोध पर रेलवे कनेशन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित कलाकारों के व्याख्यान व प्रदर्शन आदि का लाभ उठायें एवं आवश्यकतानुसार अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में मंच प्रदर्शन के लिए तैयार रहें।

नोट- समस्त विदेशी विद्यार्थी (आई० सी० सी० आर०/ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों को छोड़कर) को उक्त दर्शित शुल्क से दोगुना शुल्क देय होगा।

ध्वनि संग्रहालय

1) ध्वनि संग्रहालय में विद्यार्थियों को कलाकारों के ध्वनिमुद्रित कैसेट एवं सीडी के श्रवण की सुविधा उपलब्ध है।

2) ध्वनि मुद्रित कैसेट व सीडी संग्रहालय के बाहर नहीं ले जा सकेगें।

3) ध्वनि मुद्रित कैसेट व सीडी की कॉपी अथवा डबिंग नहीं की जायेगी।

4) कैसेट/सीडी खराब किये जाने पर, टूटने पर उसका मूल्य तथा रू० 200/- प्रतिस्थापन शुल्क देय होगा।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य संस्थाओं की परीक्षाएं

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रवेशिका के समकक्ष-

1. प्रथमा–भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ
2. जूनियर डिप्लोमा– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
3 प्रवेशिका– अखिल भारतीय गान्धर्व संगीत महाविद्यालय मण्डल मिरज
4 प्रथमा– इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
5 प्रथमा– जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6 प्रथमा– देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
7 जूनियर सर्टिफिकेट– तमिलनाडु सरकार
8 प्रथमा– वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान
9 द्विवर्षीय डिप्लोमा मुम्बई विश्वविद्यालय
10 संगीत विषय के साथ हाई स्कूल–यू.पी. बोर्ड
11 यू. जी. सी. द्वारा मान्य विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सभी द्विवर्षीय डिप्लोमा

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की परिचय के समकक्ष-

1. मध्यमा–भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ
2. सीनियर डिप्लोमा– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
3 मध्यमा– अखिल भारतीय गान्धर्व संगीत महाविद्यालय मण्डल, मिरज
4 मध्यमा– इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
5 मध्यमा– जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6 मध्यमा– देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
7 सीनियर सर्टिफिकेट– तमिलनाडु सरकार
8 मध्यमा– वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान
9 संगीत में तीन वर्षीय डिप्लोमा–एम0एस0 विश्वविद्यालय, बड़ौदा
10 संगीत भूषण–इण्डियन स्कूल आफ म्यूजिक एण्ड डान्स, हैदराबाद
11 पांच वर्षीय अंशकालिक डिप्लोमा–कला क्षेत्र चेन्नई
12 संगीत में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम– मध्य प्रदेश सरकार
13 संगीत भूषण– मध्य प्रदेश सरकार
14 संगीत भूषण–पंजीयक (शिक्षा), विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, बीकानेर
15 संगीत में तीन वर्षीय डिप्लोमा– बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
16 संगीत में जूनियर डिप्लोमा– इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
17 संगीत विषय के साथ इन्टरमीडियेट –यू0पी0 बोर्ड
18 यू0जी0सी0 द्वारा मान्य विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सभी चारवर्षीय डिप्लोमा

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रबुद्ध के समकक्ष-

1. विशारद–भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ
2. प्रभाकर– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
3 विशारद– अखिल भारतीय गान्धर्व संगीत महाविद्यालय मण्डल, मिरज
4 विद– इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
5 संगीत प्रभाकर–पंजीयक शिक्षा, विभागीय परीक्षायें, बीकानेर
6 संगीत साधक– स्टेट म्यूजिक कालेज,बड़ौदा
7 संगीत विशारद– आन्ध्र प्रदेश सरकार
8 उत्तमा– वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान
9 संगीत रत्न– मध्य प्रदेश सरकार
10 यू0जी0सी0 द्वारा मान्य विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सभी छःवर्षीय डिप्लोमा

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की पारंगत के समकक्ष-

1. निपुण–भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ
2. प्रवीण– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
3 अलंकार– अखिल भारतीय गान्धर्व संगीत महाविद्यालय मण्डल, मिरज
4 कोविद– इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
5 निष्णात– वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान
6 यू0जी0सी0 द्वारा मान्य विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सभी आठवर्षीय डिप्लोमा

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय का पुस्तकालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यह संस्था की महत्वपूर्ण इकाई के रुप में कार्यरत है। यहाँ पर शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा संगीत में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिये प्रचुर मात्रा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं की पुस्तकों के साथ-साथ गायन-वादन एवं नृत्य की अप्राप्य पुस्तकों का संग्रह तथा समसामयिक जानकारी हेतु संगीत की पत्रिकाओं का प्राचीन संग्रह भी यहाँ उपलब्ध है। पुस्तकालय द्वारा शोधार्थियों तथा सदस्यों को उनकी वांछित सामग्री की फोटो कॉपी सशुल्क उपलब्ध कराये जाने की भी सुविधा है।

पुस्तकालय से सम्बन्धित सामान्य नियम निम्नवत् हैं।

1. विश्वविद्यालय में नामांकित प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग कर सकेगा।
2. ग्रहीता पत्रक (Library Card) पर अंतिम तिथि के पश्चात पुस्तक वापस करने पर एक सप्ताह तक रु. 5 प्रतिदिन की दर से तथा इसके पश्चात रु. 10 की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. पुस्तक पर लिखने, रेखांकित करने पर पुस्तक के वर्तमान मूल्य का आधा शुल्क तथा उसे विकृत एवं विरुप करने पर पुस्तक के प्राप्त संस्करण के मूल्य का दो गुना तथा रु.100/- अतिरिक्त या इससे अधिकतम अर्थदण्ड देय होगा।
4. पुस्तक खो जाने पर पुस्तक अथवा पुस्तक का नवीनतम मूल्य तथा रु. 100/- प्रतिस्थापन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
5. संदर्भ ग्रन्थ/आरक्षित तथा अप्राप्य पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी।
6. बाह्य संगीत शोद्यार्थी साक्ष्य उपलब्ध कराने पर कुलपति/विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त रु. 50/- प्रति दिन नगद भुगतान कर पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं।
7. शोधार्थियों हेतु ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश में भी पुस्तकालय खुला रहेगा। अपने पंजीकरण रसीद को लाना अनिवार्य होगा।

लखनऊ

द्वारा आयोजित
ग्यारहवां दीक्षान्त समारोह
10 दिसम्बर 2021 सायं 04:00 बजे
कला मण्डपम् प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ
अध्यक्षता
लखनऊ

अध्यक्षता
श्रीमती आनंदीबेन पटेल
मा0 श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश/
कुलाधिपति एवं अध्यक्ष,
संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ

ग्यारहवां
दीक्षान्त समारोह

भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ
ग्यारहवां
दीक्षान्त समारोह
द्वारा आयोजित
ग्यारहवां दीक्षान्त समारोह
10 दिसम्बर 2021 सायं 04:00 बजे
कला मण्डपम् प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ
अध्यक्षता
श्रीमती आनंदीबेन पटेल

ग्यारहवां
दीक्षान्त समारोह

cover3

cover 4